न्यायालय जिला कलक्टर, बारां (राज0)

पीठासीन अधिकारीः– श्री नरेन्द्र गुप्ता (आई.ए.एस.)

प्रकरण संख्या 7/2013

बउनवान

राज0 सरकार जर्ये पंचायत प्रसार अधिकारी, जिला परिषद्, बारां जिला बारां

(निगराकार)

बनाम

1. नन्दकिशोर पुत्र सीताराम नागर जाति धाकड़ निवासी ग्राम बमोरीकलां तहसील अन्ता जिला बारां
2. ग्राम पंचायत बमोरीकलां जर्ये ग्राम सेवक एवं पदेन सचिव, पंचायत समिति, अन्ता जिला बारां (राज.)

(गैरनिगराकारान)

निगरानी अन्तर्गत धारा 92, 97 पंचायती राज अधिनियम, 1994
बाबत निरस्त किये जाने पट्टा

उपस्थिति :– 1. श्री रूपचन्द सिंगावत अभिभाषक (निगराकार)
2. श्री बृजराज किशोर शर्मा अभिभाषक (गैर निग. क्रम 1)
3. श्री कमलदीप सिंह हाड़ा अभिभाषक (गैर निग. क्रम 2)

निर्णय दिनांक 11.04.2022

निगराकार द्वारा जर्ये अभिभाषक प्रस्तुत निगरानी संक्षेप में इस प्रकार है कि ग्राम पंचायत बम्बोरीकलां ने दिनांक 26.08.2004 को आबादी भूमि का पट्टा क्रमांक 938 साइज 55X28 कुल क्षेत्रफल 1540 वर्गमीटर का गैर निगराकार क्रम 1 को जारी किया है जो नियम विरूद्ध व अवैद्यानिक होने से निरस्त होने योग्य है। ग्राम पंचायत द्वारा नियम 158 के तहत 150 वर्गगज तक की आबादी भूमि का पट्टा कमजोर वर्गों के लोगो को रियायती दर पर दिया जा सकता है किन्तु गैर निगराकार को दिया गया पट्टा 150 वर्गगज से अधिक होने से इस नियम का उल्लंघन है अस्तु पट्टा निरस्तनीय है। पंचायत ने निर्धारित दर (नियम 156(2) में प्रावधानित) से कम राशि प्राप्त कर मनमाने तरीक से नियम विरूद्ध पट्टा जारी कर पंचायत को आर्थिक क्षति पहुंचायी गयी है। अंकेक्षण वर्ष 2004–05 की ऑडिट रिपोर्ट में भी आक्षेप गठित कर उल्लेखित किया गया है कि गैरनिगराकार से 60060/– रूपये अन्तर राशि कम प्राप्त की गई है, जो वसूल योग्य मानी गयी है। अतः निवेदन है कि गैर निगराकार क्रम 1 के पक्ष में दिनांक 26.08.2004 को जारी पट्टा संख्या 938 निरस्त फरमावें।

Signature Not Verified
Digitally signed by Narendra Gupta
Date: 2022.05.10 11:47:27 IST
Reason: SelfAttested

इस पर प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर गैर निगराकारान को तलब किया गया।

जिला कलक्टर
बारां (राज.)

गैर निगराकार क्रम 1 व 2 जर्ये अभिभाषकगण उपस्थित हुये। गैर निगराकार क्रम 1 की ओर से जर्ये अभिभाषक जवाब इस आशय का पेश हुआ कि ग्राम पंचायत बमोरीकलां द्वारा अप्रार्थी क्रम 1 को आबादी भूमि का पट्टा नियमानुसार विधिक रूप से जारी किया गया है तथा अप्रार्थी का उक्त भूमि पर रिहायशी मकान बन चुका है जिसे अर्सा 10 वर्ष से अधिक समय हो चुका है। ग्राम पंचायत बमोरीकलां ने उस समय की भूमि की कीमत अनुसार पट्टे की राशि जमा करवाकर कब्जा दिया गया है। जो विधिवत है।

राजनैतिक दबाव में आकर अप्रार्थी कम 1 के विरूद्ध निगरानी गलत रूप से पेश की गई है जो बेरून मियाद है तथा कानून की मंशा के विपरीत है। अतः अप्रार्थी के विरूद्ध उक्त निगरानी खारिज फरमायी जावे।

गैर निगराकार कम–2 की ओर से जर्ये अभिभाषक जवाब इस आशय का पेश हुआ कि गैर निगराकार कम 1 को ऑडिट रिपोर्ट में आई अन्तर राशि की वसूली बाबत कई मर्तबा नोटिस दिये जा चुके हैं परन्तु उनके द्वारा राशि नहीं चुकायी गयी। विशेष कथन किया कि गैर निगराकर कम 1 का आवेदन प्राप्त होने पर आबादी भूमि में स्थित होने तथा भूखण्डो पर उनका कब्जा व रिहायशी मकान/निर्माण होने की मौके स्थिति अनुसार ग्राम सभा में प्रस्ताव लेकर दर निर्धारित कर पट्टा जारी किया गया है।

अधीनस्थ कार्यालय का रेकार्ड तलब किया गया। रेकार्ड प्राप्त होने पर प्रकरण बहस हेतु नियत किया।

दौराने बहस अभिभाषक गैर निगराकार कम 1 अनुपस्थित रहे।

बहस के दौरान अभिभाषक निगराकार द्वारा निगरानी में अंकित तथ्यो को दोहराते हुये कथन किया कि ग्राम पंचायत ने पट्टा जारी करने से पूर्व पात्रता पर गौर नहीं किया पंचायतीराज अधिनियम 1994 के नियम 158 के तहत 150 वर्गगज तक की आबादी भूमि का पट्टा कमजोर वर्गों के लोगो को रियायती दर पर ग्राम पंचायत द्वारा दिया जा सकता है किन्तु गैर निगराकार को दिया गया पट्टा 150 वर्गगज से अधिक होने से इस नियम का उल्लंघन है। पंचायत ने निर्धारित दर (नियम 156(2) में प्रावधानित) से कम राशि प्राप्त कर मनमाने तरीक से नियम विरूद्ध पट्टा जारी कर पंचायत को आर्थिक क्षति पहुंचायी गयी है। ऑडिट रिपोर्ट में आक्षेपित अन्तर राशि गैर निगराकार ने जमा नहीं कराई है। अतः निगरानी स्वीकार कर ग्राम पंचायत बमोरीकलां द्वारा गैर निगराकार कम 1 को जारी पट्टा कमांक 938 दिनांक 26.08.2004 निरस्त फरमाया जावे।

इसके विपरीत गैरनिगराकार कम–2 के अभिभाषक ने दौराने बहस कथन किया है कि गैर निगराकार द्वारा भूखण्ड पर कब्जे व रिहायशी मकान/निर्माण होने के आधार पर पट्टा जारी किया गया है। ऑडिट रिपोर्ट की अन्तर राशि जमा कराने का ग्राम पंचायत प्रयास कर रही है, यदि जमा नहीं करावे तो कार्यवाही की जावे।

हमने बहस उभयपक्ष पर मनन किया तथा पत्रावली का अवलोकन किया गया। पंचायती राज अधिनियम 1994 के नियम 158 के तहत ग्राम पंचायत द्वारा 150 वर्गगज तक का ही पट्टा कमजोर वर्गों के लोगों को रियायती दर पर दिया जा सकता है, जबकि ग्राम पंचायत बमोरीकलां द्वारा गैर निगराकार कम 1 को 1540 वर्गमीटर का पट्टा जारी किया गया है। अतः पत्रावली अवलोकन से स्पष्ट है कि ग्राम पंचायत बमोरीकलां द्वारा गैर निगराकार कम 1 को जो पट्टा जारी किया गया है वह अनुचित तरीके से नियम विरूद्ध जारी किया गया है।

परिणास्वरूप निगराकार की निगरानी स्वीकार की जाकर, ग्राम पंचायत बमोरीकलां द्वारा गैरनिगराकार कम–1 [illegible] नागर को जारी पट्टा 55 X 28 वर्गमीटर निरस्त किया जाता है। पट्टेधारी को उक्त पट्टे पर किसी प्रकार के अधिकार प्राप्त नही होगें।

Signature Not Verified
Digitally signed by Narendra Gupta
Date: 2022.05.10 11:47:27 IST
Reason: SelfAttested

निर्णय आज दिनांक 11.04.2022 को लिखाया जाकर, सरे इजलास सुनाया गया।

(नरेन्द्र गुप्ता)
जिला कलक्टर, बारां

जिला कलक्टर बारां (राज०)
न्यायालय जिला कलेक्टर बारां (राज०)